

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, श्रीमाधोपुर (सीकर)

जगमाल सिंह बनाम देवी देवी बग

तारीख हुक्म


हुक्म या कार्यवाही मय लघुहरस्ताक्षर जज

उर्ध्वना पत्र अस्थाई निषेध

सु. नं- 71 / 2020

23.03.2022

पत्रावली आज पेश हुई। वकुलाय उभय पक्षकारान् अनुपस्थित। प्रकरण में कोर्ट समाप्ति तक रूक-रूक कर बार-बार आवाज दिलवाई गई। वकुलाय उभय पक्षकारान् में से कोई हाजिर अदालत नहीं आये है। अतः वकुलाय उभय पक्षकारान् की अनुपस्थिति में प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा अदम हाजरी व अदम पैरवी में खारीज की जाती है। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफतर हो।



(दिलीप सिंह)

उपखण्ड अधिकारी  
श्रीमाधोपुर (सीकर)

